



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



31 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 292 राँची, मंगलवार,

21 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

28 फरवरी, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-37/2023 का०-1512--श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरुद्ध इन्दिरा आवासों की अनियमित रूप से स्वीकृति देने एवं नई योजनाओं में अनधिकृत रूप से चेक निर्गत करने संबंधी आरोपों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-4992, दिनांक-20.06.2002 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 49 के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया गया था।

कैडर विभाजन के उपरांत झारखण्ड राज्य आवंटित होने के पश्चात् आयुक्त कार्यालय मुंगेर द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक-17.05.2003 अपराहन के प्रभाव से झारखण्ड राज्य में योगदान हेतु विरमित किया गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद के द्वारा दिनांक-20.05.2003 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित किया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-3177, दिनांक-06.06.2003 द्वारा श्री प्रसाद का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल,

डालटनगंज में निर्धारित किया गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-12.06.2003 को आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल, डालटनगंज में योगदान किया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-707, दिनांक-11.02.2004 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन से मुक्त किया गया तथा संबंधित मामले में श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-6805 दिनांक-19.12.2006 द्वारा श्री प्रसाद को आरोप मुक्त किया गया।

श्री प्रसाद के आवेदन, दिनांक 23.05.2023 एवं दिनांक-06.11.2023 द्वारा निलंबन अवधि दिनांक-20.06.2002 से दिनांक-11.02.2004 तक के सेवा विनियमन विनियमन करने का अनुरोध किया गया है।

श्री प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक-20.06.2002 से दिनांक-11.02.2004 तक के सेवा को विनियमन के क्रम में आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से उनको प्रदान की गई जीवन निर्वाह भत्ता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-9130, दिनांक-11.11.2023 द्वारा तथा आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-763 दिनांक-22.11.2023 द्वारा श्री प्रसाद को की गयी जीवन निर्वाह भत्ता की विवरणी उपलब्ध करायी गयी है।

मामले की समीक्षा में क्रम में पाया गया कि श्री प्रसाद दिनांक 20.06.2002 से निलंबित थे, परन्तु आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री प्रसाद को दिनांक 08.08.2002 से जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान की गई। इसी तरह कैडर विभाजन के उपरांत झारखण्ड राज्य आवंटित होने के पश्चात् श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 20.05.2003 को कार्मिक, विभाग में योगदान दिया गया, जिसके आलोक में विभागीय आदेश संख्या-3177, दिनांक-06.06.2003 द्वारा श्री प्रसाद का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमंडल, डालटनगंज में निर्धारित किया गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-12.06.2003 को निर्धारित मुख्यालय में योगदान किया गया एवं उक्त मुख्यालय द्वारा श्री प्रसाद को 12.06.2003 से जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान की गई।

अतः समीक्षोपरांत, श्री उमाशंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त झाप्र०से० के निलंबन अवधि दिनांक-20.06.2002 से दिनांक-11.02.2004 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) नियम, 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि में भुगतान की गई जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
